प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 01.07.2026

आपरेशन क्रैक डाउन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, साक्ष्य बरामदगी के समय भागने की कोशिश करने पर दोनो अभियुक्त पुलिस फायरिंग में हुये घायल

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री हरिकेश भारती*** व एसओजी प्रभारी ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्त में संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 01.07.2026 को मु0अ0सं0 187/26 धारा 103(1), 238 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 01. मुहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू पुत्र समसुल हक 02. मोहम्मद आमिर उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले निवासीगण नगर पंचायत बेलहरकला टोला पनभरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के पश्चात थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को मृतका के मोबाइल की बरामदगी हेतु ग्राम कुशहरा दरही रोड ग्राम जंगल बेलहर समय करीब 04:00 सुबह लाया गया था। मोबाइल और सिम की तलाश के दौरान दोनों अभियुक्त भागने लगे, जिन्हें बार-बार रुकने के लिए आवाज दिया गया परंतु नहीं रूके। दोनों अभियुक्तों को आवश्यक बल का प्रयोग कर फायर किया गया, दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गए। घायल अभियुक्तों को तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु सरकारी गाड़ी से सीएससी मेहदावल भेजा गया। जिन्हे जिला अस्पताल खलीलाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-
01. मुहम्मद शरीफ उर्फ बगेदू पुत्र समसुल हक निवासी नगर पंचायत बेलहरकला टोला पनभरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर। (घायल)
02. मोहम्मद आमिर उर्फ निरहू उर्फ पिल्ले निवासी नगर पंचायत बेलहरकला टोला पनभरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर। (घायल)

घटना का विवरणः-
दिनाँक 28.06.2026 वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर आकर एक किता प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि आवेदिका की पुत्री उम्र 16 वर्ष को लगभग 15 दिन पहले किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर लेकर चला गया था तथा तीन दिन पूर्व वापस घर छोड़ गया था, आज दिनाँक 28.06.2026 को सुबह दो बजे रात्रि को आवेदिका अपनी पुत्री को बिस्तर पर देखने गयी तो वहाँ नहीं थी तथा सुबह 07.00 बजे पता चला कि मेरी लड़की की कब्रिस्तान के बगल में सागौन के पेड़ की टहनी से उसके ही दुपट्टे में पुरी शरीर जमीन पर लेटा हुआ मृत लाश मिली है। उपरोक्त घटनाक्रम पूरी तरह से हत्या करके साक्ष्य मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से नाटकीय ढंग का रुप देकर किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 187/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर दुष्कर्म कर हत्या करने की बात स्वीकार की गयी है। गिरफ्तारी व साक्ष्यों के आधार पर अभियोग उपरोक्त में दुष्कर्म, पाक्सो व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में बढोत्तरी की जाएगी।

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

01. थानाध्यक्ष श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 रामभूषण पटेल, रि0का0 शुभम वर्मा, रि0का0 आशीष कुमार वर्मा।
02. एसओजी प्रभारी श्री रजनीश राय, हे0का0 अनूप राय, का0 शुभम सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 दीपक सिंह।

नोट-* पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमों के उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी।

आपरेशन क्रैक डाउन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के मामले से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा साक्ष्य बरामदगी के समय भागने की कोशिश करने पर दोनो अभियुक्त के पुलिस फायरिंग में घायल होने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता रमेश पुत्र रामनरायन निवासी कांशीराम आवास खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 संजीत कुशवाहा, का0 अंकित कुमार।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता धर्मेन्द्र तिवारी पुत्र उदयभान तिवारी निवासी कर्री थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 छोटेलाला कनौजिया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8291 द्वारा मारपीट विवाद में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 8291 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत सांडेकला पेट्रोल पम्प के पास से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 01 व्यक्ति (01. नरेन्द्र यादव पुत्र श्याम बहादुर यादव निवासी ग्राम साड़ेकला थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से मार पीट विवाद में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी। ।

पीआरवी स्टाफ- का0 दीपू सिंह, हो0गा0चा0 अन्नू प्रसाद गोंड।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 241 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 01.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 241 वाहनों से 2,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनशिकायतों के निस्तारण में माह जून-2026 की मासिक रैकिंग मे जनपद संतकबीरनगर को प्रदेश में मिला, प्रथम रैंक

लगातार तेरहवीं बार संतकबीरनगर जिला रहा अव्वल, प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई प्रथम, अभियान का दिख रहा असर, जनपद रहा प्रथम

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण पर *प्रदेश में प्रथम रैंक* प्राप्त हुआ है। महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये है कि थाने पर उपस्थित पीड़ित / शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल एवं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें। गौरतलब है कि जनशिकायतों का निस्तारण आनलाइन किया जाता है, पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे उन संदर्भों को नियत समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सन्दर्भों की जाँच हेतु जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्वक जाँच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण मे वर्ष-2026 में माह जून की मासिक रैकिंग में जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। माह जून 2026 में जनपद के थाना धर्मसिंहवा व साइबर क्राइम थाना को छोडकर 10 में से 08 थानों को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों के स्तर से प्राप्त समस्त संदर्भों का गहराई एवं निष्पक्ष जाँच हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता रहता है तथा पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों की जाँच आख्या प्राप्त होने पर जाँच आख्याओं का भी गहनता से परीक्षण किया जाता है, जाँच पुष्टिकारक न होने पर आईजीआरएस संदर्भ पुनः जाँच के लिए सम्बन्धित अधिकारी को कड़े निर्देश के साथ वापस किया जाता है। निरन्तर अच्छे परिणाम के लिए आगे भी अच्छा मेहनत करने हेतु सबको निर्देशित किया गया।